

न्यूज़ टुडे

अफगानिस्तान में युद्ध अपराधों की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के अधिकारियों को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया

- यह संदर्भित करते हुए कि ICC की जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जून, 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत कुछ ICC अधिकारियों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।
- > संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, युद्ध अपराध वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। ये अपराध अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों या शत्रु सैनिकों के विरुद्ध किए जाते हैं।
- > चैंपिंग अफगानिस्तान ICC का एक सदस्य देश है, इसलिए ICC अपने विधिक अधिकारों के तहत वहाँ होने वाले अपराधों की जांच कर सकती है।

	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ)
न्याय निर्णयन क्षेत्र	○ दाङिक अपराधों की सुनवाई करना अर्थात् नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, अतिक्रमण का अपराध इत्यादि	○ वैधानिक विवादों का निपटान करना अर्थात् संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार व प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विवाद आदि।
सदस्य देश	○ ICC की रोम संविधि के तहत 123 देश शामिल हैं। ○ भारत और अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं।	○ केवल संयुक्त राष्ट्र या ICJ या दोनों की सदस्यता प्राप्त देश। ○ भारत इसका सदस्य है।
प्राधिकृत संविधि	○ रोम संविधि का अनुपालन।	○ ICJ संविधि का अनुपालन।
न्यायालय का गठन	○ नौ वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित अठारह न्यायाधीशों से गठित और भावी अवधि के लिए उनका पुनर्वर्यन नहीं किया जा सकता है।	○ नौ वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित पंद्रह न्यायाधीशों से गठित और उनका पुनर्वर्यन किया जा सकता है।
अधिकार-क्षेत्र	○ व्यक्तियों का आपराधिक अभियोजन।	○ दो प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं— विवादास्पद क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री अधिकार-क्षेत्र।
अपील	○ अपील पर निर्णय अपील चैम्बर (appeal chamber) द्वारा लिया जाता है।	○ ICJ में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने वृहद् अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विकास वित्त संस्थानों (Development Finance Institutions: DFIs) को पुनर्जीवित करने की योजना निर्भित की है

- एक DFI या “विकास बैंक” मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक संस्था है।
> उदारीकरण के पश्चात् के युग में, DFIs को प्राप्त सरकारी समर्थन राजकोषीय कारणों से कम हो रहा रहा था और यह बाजार की दक्षता के निर्माण के पक्ष में अधिक था।
- वर्तमान में, बैंकिंग क्षेत्र (जो अवसंरचना वित्तपोषण प्रदाताओं में शीर्ष पर है) में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (non-performing assets) के कारण सरकार DFIs को पुनर्जीवित करने की योजना निर्भित कर रही है।
> प्रस्तावित DFI का उपयोग राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के तहत अभिनिर्धारित सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
- सरकार DFIs को पुनर्जीवित करने के लिए दो विकल्पों की तलाश कर रही है यथा:
> क्या DFIs को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए या
> क्या इन्हें निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी केवल 49% तक ही सीमित रहे।
- यदि DFIs को पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में कर दिया जाए, तो निधि संग्रहण करना सरल हो जाएगा, परन्तु केन्द्रीय अन्वेषण बूरो (CBI), केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) जैसे निकायों द्वारा जांच एक चिंता का विषय बन जाएगा।
> ध्यातव्य है कि एक निजी क्षेत्र के रूप में DFIs ऐसी किसी भी प्रकार की जांच के भय के बिना कार्य कर सकती हैं।
- निजी क्षेत्र की प्रकृति वाले DFIs के लिए यह अवश्यक होगा कि सरकार निजी क्षेत्र पर विश्वास करे और इन DFIs को भी ऐसे लाभ प्रदान करे, जैसा कि सरकार सामान्यतया राज्य के स्वामित्व वाले DFIs को उपलब्ध करवाती है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ‘हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल’ (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle: HSTDV) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने HSTDV की उड़ान परीक्षण के साथ, हाइपरसोनिक एयर-ब्रीटिंग स्क्रैमजेट तकनीक (hypersonic air-breathing scramjet technology) का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
> अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात् भारत इस प्रकार की तकनीक विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है।
- HSTDV एक मानवरहित स्क्रैमजेट प्रमाणित विमान है, जो हाइपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। हाइपरसोनिक उड़ान से तात्पर्य है कि यह ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक (मैक 5) तीव्र गति से उड़ान भरने में सक्षम है।
> रैमजेट (Ramjets) जेट इंजनों का एक प्रकार है, जिसे एयर-ब्रीटिंग इंजन कहा जाता है। टर्बोजेट इंजन के विपरीत एक रैमजेट इंजन में कोई टर्बाइन नहीं होता है। यह वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की अग्रिम गति का उपयोग करता है।
❖ अधिकांश मिसाइलों में रैमजेट प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जो कि लगभग मैक 3 की सुपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक प्रक्षेपित होने में सक्षम होती है। परन्तु जब विमान हाइपरसोनिक गति पर उड़ान भरता है, तो उनके प्रदर्शन में गिरावट आती है।
- > स्क्रैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन का ही एक परिष्कृत संस्करण है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक उड़ान भर कर सकता है और सुपरसोनिक दहन को बनाए रखने में सक्षम होता है। इस प्रकार, इसे सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट के रूप में जाना जाता है।
- लाभ: इस प्रौद्योगिकी का, भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसकी उपयोगिता के अतिरिक्त, कम लागत पर उपग्रहों को प्रक्षेपित करने सहित अनेक असैनिक अनुप्रयोग हेतु उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित के.वी.कामथ समिति ने 26 क्षेत्रों हेतु ऋण पुनर्रचना की अनुशंसा की है


- विंगत माह में RBI द्वारा के.वी.कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की गई थी। इस समिति का कार्य “कोविड-19 से संबंधित तनाव के समाधान ढांचे” के तहत समाधान योजनाओं में शामिल किए जाने वाले आवश्यक वित्तीय मापदंडों तथा साथ ही, ऐसे मापदंडों हेतु क्षेत्रिक विशिष्ट मानदंडों पर अनुशंसाएं प्रदान करना था।
- ऋण पुनर्रचना के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं— विद्युत, निर्माण, लौह और इस्पात, सड़कें, अचल संपत्ति, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, विमानन, खनन आदि।
> क्षेत्रों की पहचान वित्तीय मापदंडों के अपने विशेषण के आधार पर की गई है, जिसमें लीवरेज (leverage), तरलता (liquidity) और ऋण चुकौती-क्षमता (debt serviceability) से संबंधित पहलू शामिल हैं।
❖ लीवरेज = ऋण पूँजी : साधारण शेयरों का मूल्य।
- समिति के सुझाव
> त्वरित परिवर्तन के लिए खातों का हल्के, मध्यम और गंभीर तनाव के तहत वर्गीकरण किया जा सकता है।
> हल्के और मध्यम तनाव वाले मामलों के लिए सरलीकृत पुनर्रचना (Simplified restructuring) और गंभीर तनाव युक्त मामलों के लिए व्यापक पुनर्रचना (comprehensive restructuring) के उपाए किए जा सकते हैं।
- ऋण पुनर्रचना एक ऐसी प्रक्रिया है, जो उधारकर्ताओं को निम्नलिखित में सक्षम बनाएगी यथा:
> उनके ऋण भुगतान को पुनर्निर्धारित करने में, या
> एक सीमित ऋण चुकौती/पुनर्मुग्धता अवकाश प्राप्त करने में, या
> उनके मौजदा ऋणों पर ब्याज दर को कम करने में (उनके बैंकों के साथ समझौते के आधार पर)।
- वर्तमान ऋण पुनर्रचना के लाभ
> कोविड-19 महामारी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कपनियों को सहयोग प्रदान किया जा सकता है।
> बैंक NPA में हो रही बढ़ोत्तरी को रोकने में सक्षम होंगे।

नीति आयोग को वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI) के निगरानी तंत्र का लाभ प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है

- सरकार ने "सुधार और विकास के संचालन हेतु वैश्विक सूचकांकों (Global Indices to Drive Reforms and Growth: GIRG)" पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 29 चयनित वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन की निगरानी करने का निर्णय लिया है।
 - वैश्विक MPI इसका एक भाग है। नीति आयोग को MPI की एक नोडल एजेंसी के रूप में वैश्विक MPI के निगरानी तंत्र का लाभ प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ताकि सुधारों का संचालन किया जा सके।
 - नीति आयोग ने इस संबंध में एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति (MPI Coordination Committee: MPICC) का गठन भी किया है।
- GIRG प्रक्रिया का उद्देश्य है
 - विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन एवं निगरानी करने की आवश्यकता को पूर्ण करना।
 - आत्म-सुधार के उपकरणों के तौर पर इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम करना और सरकारी योजनाओं के अंतिम-लक्ष्य तक कार्यान्वयन में सुधार करते हुए नीतियों में संशोधन करना आदि।

० वैश्विक MPI के बारे में

- यह 107 विकासशील देशों को शामिल करने वाला बहुआयामी निर्धनता का एक अंतर्राष्ट्रीय मापन है। यह कौन निर्धन है और वह क्यों निर्धन हैं, दोनों की पहचान करता है।
- इसकी गणना, इसके अंतर्गत तीन समान रूप से भारित आयामों में प्रत्येक सर्वेशित परिवार को 10 मानकों पर आधारित अंक प्रदान करके की जाती है। ये तीन आयाम हैं—स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (ईफोग्राफिक देखें)।
 - यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey: NFHS) का उपयोग करता है।
- वर्ष 2020 के वैश्विक MPI के अनुसार, भारत 62वें स्थान पर है और वर्ष 2005/2006 से वर्ष 2015/2016 के मध्य इसकी बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है।



अन्य सुर्खियाँ

सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन के लिए समिति (Committee on Content Regulation in Government Advertising: CCRGA)	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन की निगरानी हेतु CCRGA का गठन किया है। इसे सामान्य—जन की शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेशित किया गया है। साथ ही यह "सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियमन" से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा—निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकती है तथा अनुशंसाएं भी प्रदान कर सकती है। हाल ही में इस समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए 'विषय वस्तु विनियमन' के अनुरूप समितियों का गठन नहीं करते हैं, तो इसे उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।
श्रीलंकाई संविधान में 13वाँ संशोधन (13th Amendment to Sri Lankan Constitution)	<ul style="list-style-type: none"> यह संशोधन इस द्वीप के नौ प्रांतों के प्रशासन के लिए स्थापित प्रांतीय परिषदों को शक्ति हस्तांतरण (power devolution) संबंधी उपायों हेतु उपबंध करता है। यह श्रीलंका के नृजातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए जुलाई 1987 में किए गए भारत—श्रीलंका समझौते का एक परिणाम है। <ul style="list-style-type: none"> इसका उद्देश्य तत्कालीन उत्तर—पूर्वी प्रांत (जिसमें तमिल बहुल क्षेत्र शामिल हैं) को राजनीतिक शक्तियों के हस्तांतरण के लिए उपाय तलाशना था।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) कोविड—वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति प्रयास का नेतृत्व करेगा (United Nations Children's Fund (UNICEF) to lead global procurement, supply of COVID vaccines)	<ul style="list-style-type: none"> निम्न और निम्न मध्यम आय वाले 92 देशों के लिए कोविड—वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति प्रयास का नेतृत्व "कोवैक्स फैसिलिटी" (COVAX Facility) की ओर से अब यूनिसेफ द्वारा किया जाएगा। यह 80 उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए एक खरीद समन्वयक (procurement coordinator) के रूप में भी कार्य करेगा। <ul style="list-style-type: none"> कोवैक्स एक वैश्विक पहल है, जो उच्च—आय और निम्न—आय वाले दोनों प्रकार के देशों में कोविड—19 वैक्सीन की विश्वव्यापी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। यूनिसेफ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीदार है। यह नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने और रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए लगभग 100 देशों की ओर से प्रतिवर्ष वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक (डोज़) का क्रय करता है।
सिलिकोसिस (Silicosis)	<ul style="list-style-type: none"> सिलिकोसिस फेफड़े का एक विकार है, जो रेत, चट्टानों या कवाट्ज जैसे खनिज अयस्कों का प्रसंसंकरण करने वाले कारखानों में कार्य करते समय "सिलिका डस्ट" (सिलिका युक्त महीन धूल) के अन्तःश्वसन से उत्पन्न होता है। <ul style="list-style-type: none"> इसके नियंत्रण संपर्क में बने रहने से सिलिका फेफड़ों और श्वास नली में जमा हो जाती है। इस प्रकार ये प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मिनाखान (Minakhan) में सिलिकोसिस प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने में निषियता दिखाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को प्रश्नगत किया गया था।
भारतीय खाद्य संस्कार एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा विद्यालयों में अस्वास्थ्यकर भोजन पर प्रतिबंध (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) says 'no' to unhealthy food in schools)	<ul style="list-style-type: none"> FSSAI ने विद्यालयी बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार को उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु नए विनियमों को अधिसूचित किया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि: <ul style="list-style-type: none"> पैकेजेड फूड कंपनियां, विद्यालय परिसर में या उसके बाहर किसी भी दिशा में 50 मीटर की दूरी पर ऐसे उत्पादों का विज्ञापन या बिक्री नहीं करेंगी, जो संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट), चीनी, सोडियम या ट्रांस—फैट (वसा) की उच्च मात्रा से युक्त या निर्मित हों। कंपनियों को निःशुल्क नमूने, खिलौने, ट्रेडिंग कार्ड, परिधान, कलब सदस्यता आदि की पेशकश करके भी अस्वास्थ्यकर खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं होगी।
हट्टी, स्वर्ण खदान, कर्नाटक (Hutti Gold Mines, Karnataka)	<ul style="list-style-type: none"> यह खदान कर्नाटक के रायचूर ज़िले में स्थित है। हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड (कर्नाटक सरकार के स्वामित्वाधीन) देश में प्राथमिक स्वर्ण (primary gold) की एकमात्र उत्पादक कंपनी है। <ul style="list-style-type: none"> भारत में स्वर्ण की कार्यरत खदानें हैं—कर्नाटक में कोलार, हट्टी और उटी, झारखंड में हीराबुद्धी नी खदान तथा आंध्र प्रदेश में रामगिरी गोल्ड फील्ड। वर्ष 1902 में परिचालन आरंभ करने वाली हट्टी खदान विश्व की सबसे प्राचीन खदानों में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में खनन—गतिविधि लगभग 1900 वर्ष पूर्व से परिचालित रही है।
इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर (Indian Merchants' Chamber (IMC))	<ul style="list-style-type: none"> हाल ही में IMC चैंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के 114वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। यह देश का सबसे पुराना चैंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। इसे 'स्वदेशी आंदोलन' के अंतर्गत भारतीय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।